न्यायालय कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

रा. प्र. क्र.- 202312065000034/ब 121/अ-19/2023-24
ग्राम- सारागांव, अफरीद, झर्रा, कमरीद, पचौरी, मुडपार
तहसील- सारागांव

प्रबंधक,
प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चाम्पा.. **आवेदक**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन...**अनावेदक**

आदेश
(दिनांक 03-01-2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. चाम्पा द्वारा भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भास्करपारा जिला-सूरजपुर छ.ग. में 932.000 हे0 कोल ब्लाक आबंटित भूमि में से 313.775 हे0 भूमि खनन के लिए प्रस्तावित होने से, वन भूमि के एवज में समतुल्य भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन परिक्षेत्र चांपा, तहसील-सारागांव जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत क्रमशः ग्राम सारागांव प०ह०नं० 03 की भूमि खसरा नं0 141/1, 141/5 कुल रकबा 58.236 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 24.175 हे०, ग्राम अफरीद (अ) प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 1707/1, कुल रकबा 24.765 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 20.507 हे०, तथा ग्राम अफरीद (ब) प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 405/1, कुल रकबा 20.829 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 19.774 हे0, ग्राम झर्रा प०ह०नं० 11 की भूमि खसरा नं० 12/1, कुल रकबा 29.836 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 15.050 हे०, ग्राम कमरीद प०ह०नं० 01 की भूमि खसरा नं0 620/1, कुल रकबा 41.578 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 34.801 हे0, ग्राम पचौरी प०ह०नं० 11 की भूमि खसरा नं0 301/1, कुल रकबा 36.692 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 14.325 हे0 एवं ग्राम मुडपार प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 401/1, कुल रकबा 41.174 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 33.272 हे0 अनुसार कुल 161.904 हे. भूमि का आबंटन / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय का पत्र क्र० 684/भू.अ./ वन अधि/ 2022 जांजगीर चांपा दिनांक 11.10.2022, पत्र क्र० 712/भू.अ./ वन.अधि. /2022 जांजगीर चांपा दिनांक 02.11.2022, पत्र क0 736/भू.अ./ वन.अधि. /2022 जांजगीर चांपा दिनांक 15.11. 2022 एवं पत्र क्र० 800/भू.अ./वन.अधि. /2022 जांजगीर चांपा दिनांक 15.12.2022 अ.वि.अ. (रा.) चांपा की ओर प्रेषित किया गया। तत्संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा का प्रतिवेदन /ज्ञापन क्र०/1790 /वा./अ.वि.अ./2022 चांपा दिनांक 31.10.2022, ज्ञापन क्र०/1912/वा./अ.वि.अ./2022 चांपा दिनांक 17.11.2022, पत्र क्र०/2005/वा./अ.वि.अ./2022/चांपा दिनांक 28.11.2022, प्रतिवेदन क्रमांक 2314/वा-1/अ.वि.अ./2022 चांपा दिनांक 23.12.2022 तथा प्रतिवेदन क्रमांक 3283/ वा-1/अ.वि.अ./2022 चांपा दिनांक 02.01.2023 अनुसार जांच प्रतिवेदन, तहसीलदार सारागांव से प्राप्त ग्रामवार पृथक-पृथक जांच प्रतिवेदन के साथ अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

न्यायालय कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चांपा द्वारा संलग्न प्रतिवेदन दिनांक 23.12.2022 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली वनमण्डल चांपा अंतर्गत कुल भूमि 161.904 हे. के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है:-

1. आवेदित भूमि का चयन वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित है।
2. आवेदित भूमि 20.000 है. से अधिक भूमि वन सीमा के 500 मीटर के अंतर्गत वन सीमा में नहीं आता।
3. रकबा 20.000 हे. से कम भूमि एक ही स्थान में चयनित होने से प्रकरण में वन सीमा से भूमि लगी हुई नहीं है।
4. चयनित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

पुनः अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चांपा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 23.12.2022 के संदर्भ में तहसीलदार सारागांव से प्राप्त एवं संलग्न ग्रामवार पृथक-पृथक जांच प्रतिवेदन अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 02.01.2023 को प्रस्तुत किया गया है ।

आवेदित भूमि का चयन वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित है । निदेशक (कम्पनी मामले) मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा उनके संस्थान को कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा का पत्र क्र०/तक.अधि. /6641/चांपा दिनांक 21.11.2022 अनुसार, वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमण्डल द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। जिसमे वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा आवेदित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है। यह कि इस कार्यालय का ज्ञापन क्र० 797/भू.अ./वन.अधि/2022 जांजगीर दिनांक 14.12. 2022 अनुसार निदेशक (कम्पनी मामले) मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा उनके संस्थान को कोल ब्लॉक आबंटन किये जाने से प्रभावित वन भूमि का क्षतिपूर्ति वानिकी किये जाने हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं होने का जिला-सूरजपूर (छ.ग.) के वनमण्डलाधिकारी से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है। लेकिन संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा से प्रतिवेदन प्राप्त उपरांत इस कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक/859/मू.अ./रा.नि./वन.अधि. /2023 जांजगीर दिनांक 16.01.2023 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि आबंटन के संबंध में शासन से मार्गदर्शन चाहा गया था।

तत्संबंध में छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क० 2048/68/2023/सात 1 नवा रायपुर दिनांक 18.05.2023 द्वारा शासन से मार्गदर्शन प्राप्त है। जिसमें उल्लेखित अनुसार, *"आवेदक संस्था के द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र के विरुद्ध वन विभाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हेतु प्रावधान अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे तथा शासकीय विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24.01.2023 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आबंटित भूमि के विषय में कार्यवाही का अनुरोध है।"*

यह कि वन विभाग द्वारा आवेदित भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि आबंटन की मांग नहीं की गई हैं, अपितु आवेदक संस्था मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को कोल ब्लाक आबंटित वन भूमि के एवज में जिला-जांजगीर चांपा अंतर्गत आवेदित 161.904 हे0 शासकीय घास भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटन / नामांतरण किये जाने हेतु संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

तदनुसार शासन के मार्गदर्शन के संबंध में आवेदित भूमि वन विभाग को आबंटित होने की स्पष्ट जानकारी हेतु, इस कार्यालय का ज्ञापन क्र०/48/अ.भू.अ./रा.नि./ वन अधि. /2023 जांजगीर दिनांक 03.07.2023 अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चांपा से बिन्दुवार जानकारी लिए जाने हेतु ज्ञापन जारी किया गया। जिसके संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चांपा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. प्रतिवेदन क्रमांक/3462/डब्ल्यूए-1/एवीए/2023 चांपा दिनांक के अनुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उल्लेखित अनुसार :-

न्यायालय कलेक्टर * जांजगीर-चांपा

1. राज्य शासन के मार्गदर्शन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्था के माध्यम से वन विभाग को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। अतः आवेदित भूमि के संबंध में तहसीलदार सारागांव एवं राजस्व निरीक्षक सारागांव से प्राप्त सहपत्र अनुसार गणना पत्रक संलग्न है।
2. आबंटन से ग्राम चराई हेतु कुल मकबूजा रकबा का 2 प्रतिशत से अधिक भूमि सभी ग्रामों में शेष है।
3. भूमि आवंटन हेतु ग्राम सभा एवं नगर परिषद का अनापत्ति प्रस्ताव सहित संलग्न है।
4. आवेदित भूमि के संबंध में संबंधित ग्रामों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
5. आवेदित भूमि को वृक्षारोपण हेतु आबंटित किये जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

पत्र दिनांक 21.08.2023 की कंडिका 03 में उल्लेखित अनुसार संलग्न नगर/ग्राम पंचायत के अभिमत में निम्नांकित अनुसार प्रस्तावित है:-

1. नगर पंचायत सारागांव के पी.आई.सी. बैठक दिनांक 31.07.2023 प्रस्ताव क्र० 09 में आवेदित ख०नं० 141/1, 141/5 में से 24.175 हे0 शासकीय घास मद की रिक्त भूमि को वनमण्डल जांजगीर चांपा को वृक्षारोपण करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. ग्राम पंचायत अफरीद का प्रस्ताव क्र० 06 दिनांक 14.08.2023 अनुसार आवेदित ख0नं0 1707/1 कुल रकबा 24.765 हे0, व ख0नं0 405/1 कुल रकबा 20.829 हे. तथा ग्राम पंचायत अफरीद के आश्रित ग्राम मुड़पार की भूमि ख0न0 401/1 रकबा 33.272 हे० भूमि को वन विभाग चांपा के पक्ष में हस्तांतरण करने से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त विषय पर विवाद व जनसमस्या की स्थित उत्पन्न होने पर ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं वाद भूमि पूर्ण रूप से अस्थाई हस्तांतरण होगा।
3. ग्राम पंचायत झर्रा का प्रस्ताव क्र० 938 दिनांक 28.07.2023 अनुसार ग्राम झर्रा के भूमि खसरा नं० 12/1 रकबा 15.050 हे0 भूमि को वन विभाग चांपा के पक्ष में हस्तांतरण करने से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
4. ग्राम पंचायत कमरीद का प्रस्ताव क्र० 08 दिनांक 16.08.2023 अनुसार ग्राम कमरीद की भूमि खसरा नं०620/1 रकचा 34.801 हे0 भूमि को वन विभाग चांपा के पक्ष में हस्तांतरण करने से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
5. ग्राम पंचायत पचौरी का प्रस्ताव क्र० 04 दिनांक 09.08.2023 अनुसार ग्राम के भूमि खसरा नं0 301/1 में से 14.325 हे0 शासकीय घास मद भूमि लाला माटी तालाब के पास पूर्व दिशा में एवं भवरेली भाठा की भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आबंटन / नामांतरण का प्रस्ताव किया गया। भूमि आबंटन / नामांतरण का प्रस्ताव विवाद की स्थिति में ग्राम सभा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

न्यायालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा

यह कि छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर का पत्र क्र0 5498/68/2023 /सात-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 27.07.2023 द्वारा उल्लेखित विषय के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु पत्र के संदर्भ में, उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चांपा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा आवेदित वन परिक्षेत्र चांपा तहसील सारागांव जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम सारागांव, अफरीद, झर्रा, कमरीद पचौरी, मुडपार की कुल 253.110 हे0 शासकीय (घास) भूमि मे से 161.904 हे0 भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव, मूलतः सहपत्रो सहित आयुक्त महोदय के माध्यम से सचिव महोदय, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर द्वारा पत्र क्र0 एफ-4-80/सात-1/2023 /नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से निर्देश प्रदान किया कि *"राज्य शासन, एतद्वारा, आवेदक रास्था मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चापा. जिला जाजगीर-चापा छ०ग० से उपरोक्त भूमि कुल रकबा*

161.904 हे0 का वर्तमान 'गाईड-लाईन दर के आधार पर पूर्ण वाजार मूल्य प्रव्याजि के रूप में प्राप्त करते हुए विभागीय परिपत्र कमाक एफ-4-135/सात-1/2006 दिनाक 10/08/2006 के प्रावधानानुसार वन विभाग के पक्ष में निःशुल्क अन्तरण करने की स्वीकृति प्रदान करता है।"

उक्त आधार पर बाजार मूल्य के समतुल्य प्रब्याजी की गणना तैयार किया गया। तत्पश्चात Prakash Industries Limited द्वारा पत्र क्र पी.आई.एल./बिला./2023-24/247 दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से लेख किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली वनमण्डल, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, तहसील-सारागांव की कुल 161.904 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि का नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा प्रतिवेदन क्रमांक 3462/वा.1/अ.वि.अ. /2023 चांपा दिनांक 31.08.2023 के माध्यम से तहसीलदार सारागांव व राजस्व निरीक्षक सारागांव से प्राप्त सहपत्र अनुसार संलग्न गणना पत्रक प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव में दिये गये खसरा नंबर एवं कुल उपलब्ध शासकीय भूमि से अनुशंसित शासकीय भूमि 161.904 हेक्टेयर के मूल्य का निर्धारण मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित मानकर गणना पत्रक बनाया गया, जबकि केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़, रायपुर के बाजार मुख्य मार्ग दर्शक सिद्धांत वर्ष 2019-20 से संबंधित उपबंध के प्रारुप "तीन" के संबंध में उपबंध (नियम 7) कृषि भूमियों के लिए उपबंध की कंडिका नं. 9 के अनुसार - *" ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों जिनमें सड़क पर स्थित संपत्ति के मूल्य पृथक से निर्धारित है, को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक, राज्यमार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक एवं मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य पक्की सड़क / डब्ल्यू.बी.एम. रोड पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक माना जावेगा।"*

अतः उक्त आधार पर जिला पंजीयक, जिला जांजगीर चाम्पा को कार्यालयीन ज्ञापन क्र 1648/ अ.भू.अ./ 2023 दिनांक 20/12/2023 जारी कर तहसील-सारागांव के अंतर्गत आने वाले ग्रामो (सारागांव, अफरीद (ब) एवं झर्रा) की शासकीय घास भूमि का गणना पत्रक सह पटवारी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया व उपरोक्त वर्णित कंडिका के उपबंधो पर अभिमत प्राप्त किया गया। उपरोक्त वर्णित कंडिका के उपबंधो के आधार पर कार्यालय जिला पंजीयक, जिला जांजगीर चाम्पा के पत्र क्र 963/ जि.पं./2023 दिनांक 21/12/2023 के माध्यम से मार्गदर्शक सिद्धांत/उपबंध के अनुसार निम्नानुसार अभिमत प्रदान किया गया है:-

"1. सारागांव- प्रश्नाधीन भूमि, तहसीलदार के प्रतिवेदन क्रमांक 1254/वा./तह. /2023 सारागांव दिनांक 21/12/2023 अनुसार, चिन्हांकित भूमि मुख्यमार्ग से लगी हुई नहीं है एवं अन्य पहुंच मार्ग से भी 46 मीटर पश्चात् है। वर्तमान गाईड लाईन में केवल मुख्य मार्ग एवं अन्य पहुंच मार्ग हेतु पृथक-पृथक दर निर्धारित है। चूंकि भूमि, सी.सी. रोड़ / मुख्यमार्ग पर स्थित है। अतः शासन के हित में, ग्राम सारागांव के अन्य मार्ग के 46 मीटर पश्चात्, दर में 10 प्रतिशत वृद्धि कर बाजार मूल्य की गणना किया जाना उचित होगा।

2. अफरीद- प्रश्नाधीन भूमि, तहसीलदार के प्रतिवेदन क्रमांक 1253/वा./तह./2023 सारागांव दिनांक 21/12/2023 अनुसार, ग्राम अफरीद के अन्य सड़क मार्ग / पहुंच मार्ग से 46 मीटर दूर नहर पार के धरसा से लगी होने के कारण शासन हित में उक्त ग्राम के सिंचित भूमि हेतु निर्धारित दर में 10 प्रतिशत वृद्धि कर, बाजार मूल्य की गणना किया जाना उचित होगा।

3. झर्रा- प्रश्नाधीन भूमि, तहसीलदार के प्रतिवेदन क्रमांक 1252/वा./तह./2023 सारागांव दिनांक 21/12/2023 अनुसार चिन्हांकित भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लगी हुई है। अतः ग्राम झर्रा के मुख्य मार्ग की दर से बाजार मूल्य की गणना किया जाना उचित होगा।"

अतः जिला पंजीयक, जिला- जांजगीर चाम्पा से प्राप्त अभिमत अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चाम्पा को कार्यालयीन ज्ञापन क्र 1650/ अ.भू.अ./ 2023 दिनांक 21/12/2023 जारी कर ग्रामो (सारागांव, अफरीद (ब) एवं झर्रा) की शासकीय घास भूमि का नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु संशोधित गणना पत्रक प्रेषित करने लेख किया गया।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा प्रतिवेदन क्र 4174/वा./तह.2023 दिनांक 22/12/2023 के माध्यम से गणना पत्रक के साथ तहसीलदार सारागांव के प्रतिवेदन क्र 1255/ वा./तह./2023 प्रेषित किया गया। जिसके अनुसार पत्र में संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र एफ़-4-80/सात-1/2023 नवा रायपुर दिनांक 15/09/2023 में दिए निर्देशानुसार वर्तमान गाइड लाइन दर के आधार पर पूर्ण बाज़ार मूल्य प्रब्याजी के रूप में गणना किया जाना है, उसी प्रकार पत्र में संलग्न जिला पंजीयक, जिला जांजगीर चाम्पा महोदय के अभिमत अनुसार व राजस्व निरीक्षक के गणनापत्रक अनुसार ग्राम सारागांव, अफरीद (ब) एवं झर्रा के संशोधित व शेष ग्रामो का यथावत गणना विवरण निम्नानुसार है:-

1. नगर सारागांव प०ह०नं० 03/12 तहसील सारागांव स्थित भूमि ख0न0 141/1, 141/5 कुल रकबा 58.236 हे0 में से कुल उपलब्ध शासकीय घांस (चराई भूमि रकबा 24.175 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर के पश्चात स्थित भूमि के लिये 2439500.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित है।

   अतः 24.175 × 2439500 = 58974912.50 रूपये

   मूल्य का 10 % अतिरिक्त = 5897491.25 रूपये

   योग = 64872403.80 रु

2. ग्राम अफरीद प०ह०नं० 02/13 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 405/1 कुल रकबा 20.829 हे. में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 19.774 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार सिंचित भूमि के लिये 1698900.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित है।

   अतः 19.774 x 1698900 = 33594048.60 रूपये

   मूल्य का 10 % अतिरिक्त = 3359404.86 रूपये

   योग = 36953453.50 रु

3. ग्राम अफरीद प०ह०नं० 02/13 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 1707/1 कुल रकबा 24.765 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा क्रमशः 20.507 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित भूमि के लिये 2414300.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित है.

   अतः 20.507 x 2414300 = 49638008.00 रूपये

   योग = 49638008.00 रूपये

4. ग्राम झर्रा प०ह०नं० 11/14 तहसील सारागांव स्थित ख०नं० 12/1 कुल रकबा 29.836 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 15.050 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित भूमि के लिये 1859900.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित

   अतः बाजार मूल्य 15.050 हे0 × 1859900.00 = 27991495.00 रूपये

   योग = 27991495.00 रूपये

5. ग्राम कमरीद प०ह०नं० 01/11 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 620/1 कुल रकबा 41.578 हे०, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 34.801 हे० का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित भूमि के लिये 2552900.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित

   अतः बाजार मूल्य - 34.801 हे0 × 2552900.00 = 88843473.00 रूपये।

   योग = 88843473.00 रूपये।

6. ग्राम पचौरी प०ह०नं० 11/14 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 301/1 कुल रकबा 36.692 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 14.325 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित भूमि के लिये 2034900.00 रूपये प्रति हे0 निर्धारित

अतः बाजार मूल्य - 14.325 हे0 × 2034900.00 = 29149943.00 रूपये।

योग = 29149943.00 रूपये।

7. ग्राम मुडपार प०ह०नं० 02/13 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 401/1 कुल रकबा 41.174 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 33.272 हे0 का वर्तमान गाईडलाईन वर्ष 2022-23 अनुसार मुख्य मार्ग से 46 मीटर तक स्थित भूमि के लिये 1615600.00 रूपये प्रति हे० निर्धारित

अतः बाजार मूल्य - 33. 272 हे0 × 1615600.00 = 53754243.00 रूपये।

योग = 53754243.00 रूपये।

इस प्रकार महायोग प्रब्याजी की राशि = 351203019.00 रूपये।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा को गणना पत्रक अनुसार मांग पत्र जारी किया गया था जिसके परिपालन में उनके द्वारा चालान क्र 9-076122451 दिनांक 26/12/2023 के माध्यम से 351203019.00 रूपये (पैतीस करोड़ बारह लाख तीन हज़ार उन्नीस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

पूर्व में न्यायालय कलेक्टर जिला जांजगीर चाम्पा के रा. प्र. क्र.- 01 /अ-19/09-10 ग्राम बसंतपुर पारित आदेश दिनांक 19/11/2009 के माध्यम से ग्राम बसंतपुर स्थित भूमि खसरा नं. 87 एवं 257 रकबा क. 28.182 हे. एवं 13.617 हे. कुल रकबा 41.799 है. छग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत निस्तार से पृथक करते हुए वन विभाग को अंतरित करने के आदेश दिये गये थे जिसके लिए प्रिमियम एवं भू-भाटक नहीं लिया गया था। उक्त प्रकरण के प्रमुख अंश सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार वर्णित है-

उक्त प्रकरण में वन विभाग की भूमि कक्ष कमांक 2464 पी.एफ.एल. ख.नं. 4/3 की 39.250 हे. वन भूमि की मांग केप्टीव पावर प्लांट परियोजना हेतु वन मण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा से की गई थी। इस भूमि का उपयोग प्रकाश इंडस्ट्रीज चाम्पा के द्वारा किये जाने की भी अनुमति देने का प्रस्ताव राज्य शासन छ.ग. के पत्र क. एफ. 5-35/2007/10-02 दिनांक 18.05.07 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया था। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पत्र क. 6-सी.एच.सी 050/2007 बी.एच.ओ. /4466 दिनांक 10.12.2007 के द्वारा प्रधान सचिव वन एवं संस्कृति विभाग छ.ग. शासन डी. के. भवन रायपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि *"राज्य शासन के प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार करन के पश्चात केन्द्र सरकार की ओर से अधो हस्ताक्षरार्थ के द्वारा (डॉ. बी. एन. मोहन्ती, मुख्य वन संरक्षक केन्द्रीय) 39.250 हे. वन भूमि केप्टीव पावर प्लांट परियोजना हेतु मेसर्स प्रकाश इ. चाम्पा के पक्ष में प्रत्यावर्तन करने हेतु एतद द्वारा निम्न लिखित शर्तों पर सिंद्धांतः सहमति दी जाती है।"* इस पत्र की कंडिका 2 अ में स्पष्ट किया गया है कि, *"वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता के खर्च पर 39.250 हे. गैर वन भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।"* इसी पत्र की कंडिका 2 ब में यह शर्त थी कि *"इस गैर वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित व नामांतरित किया जायेगा"* इसके उपरांत इसी संदर्भ में भारत सरकार के पत्र कमांक 6-सी.एच.सी -050/2007 -बी.एच.ओ./812 दिनांक 15.04.2008 प्राप्त हुआ पत्र की छायाप्रति संलग्न है। पत्र के निर्देश इस प्रकार है *"इस कार्यालय के संदर्भित पत्रांक 1 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्य दन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र 3 द्वारा शर्त संख्या 2 अ को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के संदर्भित पन्त्र 2 के आधार पर विलोपित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत उक्त स्वीकृति आदेश की शर्त 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-*

1. *गैरं वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने का प्रयास यदि सफल नहीं होते है तो नई दिल्ली के दिये गये दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 5-1/2007एफ सी दिनांक 28.12.2007 को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त दुगुनी राजस्व भूमि छोटे बड़े झाड़ का जंगल 78.50 हे. पर क्षति पूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।*

2. *अगर पूर्व में इस राजस्व वन भूमि को हस्तांतरित व नामांतरित नहीं की गई हो तो यह राजस्व वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित व नामांतरित की जायेगी एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तकनिकी स्वीकृति के साथ क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल को प्रेषित की जायेगी।*

3. *इस राजस्व वन भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा।*

यह कि छ. ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर द्वारा पत्र क्र0 एफ-4-80/सात-1/2023 /नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में निःशुल्क अन्तरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश प्रदान किये गये है कि *"राज्य शासन, एतद्वारा, आवेदक संस्था मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चापा. जिला जाजगीर-चापा छ०ग० से उपरोक्त भूमि कुल रकबा 161.904 हे0 का वर्तमान 'गाईड-लाईन दर के आधार पर पूर्ण वाजार मूल्य प्रव्याजि के रूप में प्राप्त करते हुए विभागीय परिपत्र कमाक एफ-4-135/सात-1/2006 दिनाक 10/08/2006 के प्रावधानानुसार वन विभाग के पक्ष में निःशुल्क अन्तरण करने की स्वीकृति प्रदान करता है।"*

उपरोक्तानुसार शासन की स्वीकृति व अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चापा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, गणना पत्रक एवं अनुशंसा अनुसार, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा आवेदित वन परिक्षेत्र चांपा तहसील सारागांव जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम सारागांव, अफरीद (अ), अफरीद (ब), झर्रा, कमरीद पचौरी, मुडपार की कुल 253.110 हे0 शासकीय (घास) भूमि में से 161.904 हे० भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा को गणना पत्रक अनुसार मांग पत्र जारी किया गया था जिसके परिपालन में उनके द्वारा चालान क्र 9-076122451 दिनांक 26/12/2023 के माध्यम से 351203019.00 रूपये (पैतीस करोड़ बारह लाख तीन हज़ार उन्नीस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्नाधिन भूमि चराई मद में दर्ज होने के कारण अंतरण के पूर्व इसे निस्तार पत्रक से पृथक करने का आदेश भी दिया जाना होगा। ग्राम के कुल मकबूजा रकबा का दो प्रतिशत भूमि चराई के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। तहसीलदार सारागांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सारागांव, अफरीद (अ), अफरीद (ब), झर्रा, कमरीद पचौरी, मुडपार की कुल 253.110 हे0 शासकीय (घास) भूमि में से 161.904 हे० भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराए जाने के संबंध में छ. ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 237(2) व 237(3) के प्रावधानों के तहत -

1. नगर सारागांव प०ह०नं० 03/12 तहसील सारागांव स्थित भूमि ख0न0 141/1, 141/5 कुल रकबा 58.236 हे0 में से कुल उपलब्ध शासकीय घास (चराई भूमि) रकबा 24.175 हे0
ग्राम का कुल रकबा =1476.778 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 1235.600 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 242.178 हे.
कुल चराई का रकबा = 76.044 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 46.514 हे. (3.14%)

2. ग्राम अफरीद प०ह०नं० 02/13 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 405/1 कुल रकबा 20.829 हे. में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 19.774 हे0
तथा ख0नं0 1707/1 कुल रकबा 24.765 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा क्रमशः 20.507 हे0
इस प्रकार कुल 40.334 हे.
ग्राम का कुल रकबा =905.893 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 705.597 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 155.296 हे.
कुल चराई का रकबा = 73.090 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 32.756 हे. (4.36%)

न्यायालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा *

3. ग्राम झर्रा प०ह०नं० 11/14 तहसील सारागांव स्थित ख०नं० 12/1 कुल रकबा 29.836 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 15.050 हे0
ग्राम का कुल रकबा = 494.034 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 438.139 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 55.895 हे.
कुल चराई का रकबा = 36.172 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 20.028 हे. (4.57%)
4. ग्राम कमरीद प०ह०नं० 01/11 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 620/1 कुल रकबा 41.578 हे०, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 34.801 हे०
ग्राम का कुल रकबा =829.659 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 699.975 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 129.648 हे.
कुल चराई का रकबा = 62.070 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 26.266 हे. (3.89%)
5. ग्राम पचौरी प०ह०नं० 11/14 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 301/1 कुल रकबा 36.692 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 14.325 हे0
ग्राम का कुल रकबा =591.265 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 494.576 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 96.696 हे.
कुल चराई का रकबा = 52.242 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 33.870 हे. (6.84%)
6. ग्राम मुडपार प०ह०नं० 02/13 तहसील सारागांव स्थित ख0नं0 401/1 कुल रकबा 41.174 हे0, में से उपलब्ध शासकीय घांस भूमि रकबा 33.272 हे0
ग्राम का कुल रकबा =285.380 हे.
ग्राम का मकबूजा रकबा = 199.881 हे.
गैर मकबूजा रकबा = 85.499 हे.
कुल चराई का रकबा = 51.518 हे.
आबंटन पश्चात चराई हेतु रकबा (कुल रकबा का 2 % से अधिक हो) = 18.246 हे. (9.13%)

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न तहसीलदार का प्रतिवेदन, पटवारी रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पंचनामा तथा अभिलेखों के स्थिति का परिसीलन किया गया आवेदित भूमि अधिकार अभिलेख के कॉलम नं. 02 में घास मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख के कॉलम नं. 6 के अनुसार आवेदित भूमियों को चराई हेतु सुरक्षित रखा गया है। अंतरित की जा रही भूमि को छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) व 237(3) के प्रावधानों के तहत निस्तार पत्रक से पृथक किये जाने का भी आदेश दिया जाता है।

अतः शासन की स्वीकृति व अनुविभागीय अधिकारी (रा०) चाम्पा तथा तहसीलदार सारागांव के प्रतिवेदन मय समस्त मूल दस्तावेज, नगर/ग्राम पंचायत के अभिमत, राजस्व निरीक्षक के गणना पत्रक सह प्रतिवेदन व पटवारी प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा वर्तमान गाईड-लाईन दर के आधार पर पूर्ण वाजार मूल्य प्रब्याजी के रूप में चालान क्र 9-076122451 दिनांक 26/12/2023 के माध्यम से 351203019.00 रूपये (पैतीस करोड़ बारह लाख तीन हज़ार उन्नीस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

अतः मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा आवेदित वन परिक्षेत्र चांपा तहसील सारागांव जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत क्रमशः ग्राम सारागांव प०ह०नं० 03 की भूमि खसरा नं0 141/1, 141/5 कुल रकबा 58.236 हे0 शासकीय

घास भूमि में से रकबा 24.175 हे०, ग्राम अफरीद (अ) प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 1707/1, कुल रकबा 24.765 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 20.507 हे०, तथा ग्राम अफरीद (ब) प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 405/1, कुल रकबा 20.829 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 19.774 हे0, ग्राम झर्रा प०ह०नं० 11 की भूमि खसरा नं० 12/1, कुल रकबा 29.836 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 15.050 हे०, ग्राम कमरीद प०ह०नं० 01 की भूमि खसरा नं0 620/1, कुल रकबा 41.578 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 34.801 हे0, ग्राम पचौरी प०ह०नं० 11 की भूमि खसरा नं0 301/1, कुल रकबा 36.692 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 14.325 हे0 एवं ग्राम मुडपार प०ह०नं० 02 की भूमि खसरा नं0 401/1, कुल रकबा 41.174 हे0 शासकीय घास भूमि में से रकबा 33.272 हे0 अनुसार **कुल 161.904 हे. भूमि** को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र FC-11/ 159/ 2022- FC दिनांक 24.01.2023 के निर्देशों का पालन करने की शर्त पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) व 237(3) के प्रावधानों के तहत निस्तार से पृथक करते हुए वन विभाग को निःशुल्क अंतरित करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश पारित

सर्व संबंधित सूचित हो

न्यायालय कलेक्टर * जाँजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला- जांजगीर-चाम्पा

पृ. क्रमांक/ 291 /अ.भू.अ./ 2023 जांजगीर, दिनांक- 04/01/2024

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, जिला जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, तहसील- सारागांव, जिला जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आवेदक संस्था मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चाम्पा जिला जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03/01

कलेक्टर
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार – सारागांव, जिला – जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

// प्रतिवेदन //

स. क्र.1289/वा./तह0/2024 सारागांव, दिनांक 10/01/2024

प्रति,

न्यायालय कलेक्टर
जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विषयः– अभिलेख दुरूस्ती पश्चात पालन प्रतिवेदन बाबत्।

संदर्भः– न्याया. कलेक्टर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के रा. प्र. क. 202312065000034/ब. 121/अ–19/2023–24 आदेश दिनांक 03/01/2024

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित राजस्व प्रकरण में ग्राम सारागांव प.ह.नं. 12 की भूमि ख. नं. 141/1, 141/5 कुल रकबा 58.236 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से रकबा 24.175 हेक्ट. अफरीद (अ) प.ह.नं. 13 की भूमि ख. नं. 1707/1 कुल रकबा 24.765 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से 20.507 हेक्ट. अफरीद (ब) 405/1 कुल रकबा 20.829 हेक्ट. ग्राम झर्रा प.ह.नं. 14 की भूमि ख. नं. 12/1 कुल रकबा 29.836 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से 15.050 हेक्ट. ग्राम कमरीद प.ह.नं. 11 की भूमि ख. नं. 620/1 कुल रकबा 41.578 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से 34.801 हेक्ट. ग्राम पचोरी प.ह.नं. 14 की भूमि ख. नं. 301/1 कुल रकबा 36.692 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से 14.325 हेक्ट. व ग्राम मुडपार प.ह.नं. 11 की भूमि ख. नं. 401/2 कुल रकबा 41.174 हेक्ट. शासकीय घास भूमि में से 33.272 हेक्ट. को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क. FC-11/159/2022 FC दिनांक 24.01.2023 के निर्देशों का पालन करने की शर्त पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में छ.ग. भू. रा. सं. 1959 की धारा 237(2) व 237(3) के प्रावधानों के तहत निस्तार से पृथक करते हुये वन विभाग को निःशुल्क अंतरित करने आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के परिपालन में संबंधित हल्का पटवारी से अभिलेख दुरूस्ती कराने पश्चात् अद्यतन अभिलेख (खसरा) संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।

तहसीलदार
तहसीलदार
सारागांव
सारागांव

पृ. क्र.1290/वा./तह0/2024 सारागांव, दिनांक 10/01/2024

प्रतिलिपिः–

01. आवेदक संस्था मेंसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा, जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
सारागांव

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2023-2024

ग्राम : मुड़पार 49 (5412049) हल्का : 00013 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240110541200020

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
401/30	33.2720 (राज्य सरकार)	वनविभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126040585 न्यायालय कलेक्टर जिला जाँजगीर चाम्पा (छ .ग) के रा.प्र.क्र. 202312065000034/ब 121/अ -19/2023-24 आदेश दिनांक 03/01/2024 एवं न्यायालय तहसील सारागांव जिला जाँजगीर चाम्पा के ज्ञापन क्र.1280/वा /तह./2024 दिनांक 05/01/2024

Digitally signed by Anuranjan Ekka
Date: 2024.01.10 15:45:18 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कृषि वर्ष: 2023-2024

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण).

ग्राम : सारागांव 4 (5412040) हल्का : 00012 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240109541200004

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
141/10	24.1750 (राज्य सरकार)	वन विभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126039571 न्यायालय कलेक्टर जिला जांजगीर चाम्पा के रा. प्र. क्र. 202312065000034/ब 121/अ 19 / 2023-24 पारित आदेश दिनांक 03/01/2024

Digitally signed by Narendra Kumar Patel
Date: 2024.01.09 16:15:15 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कृषि वर्ष: 2023-2024

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : झर्रा 53 (5412053)   हल्का : 00014   रा नि : सारागांव   तहसील : सारागाँव   जिला : जांजगीर-चांपा   20240109541200012

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12/3	15.0500 (राज्य सरकार)	वन विभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126039644 न्याया. कले. जिला जांजगीर चाम्पा के रा. प्र. क्र. 202312065000034/ब 121/अ 19 /2023-24 पारित आदेश दिनांक 03/01/2024

Digitally signed by PRAKASH RATHORE
Date: 2024.01.09 20:42:42 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2023-2024

ग्राम : पचोरी 50 (5412050) हल्का : 00014 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240109541200014

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
301/14	14.3250 (राज्य सरकार)	वन विभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126039657

Digitally signed by PRAKASH RATHORE
Date: 2024.01.09 20:44:01 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कृषि वर्ष: 2023-2024

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : कमरीद 14 (5412014) हल्का : 00011 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240110541200022

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरूषी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
620/7	34.8010 (राज्य सरकार)	वनविभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126040591 न्यायालय कलेक्टर जिला जाँजगीर चाम्पा (छ .ग) के रा.प्र.क्र. 202312065000034/ब 121/अ -19/2023-24 आदेश दिनांक 03/01/2024 एवं न्यायालय तहसील सारागांव जिला जाँजगीर चाम्पा के जापन क्र.1278/वा /तह./2024 दिनांक 05/01/2024

Digitally signed by Anuranjan Ekka
Date: 2024.01.10 15:48:31 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

कृषि वर्ष: 2023-2024

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : अफरीद 41 (5412041) हल्का : 00013 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240110541200018

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
405/22	19.7740 (राज्य सरकार)	वनविभाग			वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126040527 न्यायालय कलेक्टर जिला जाँजगीर चाम्पा (छ .ग) के रा.प्र.क्र. 202312065000034/ब 121/अ -19/2023-24 आदेश दिनांक 03/01/2024 एवं न्यायालय तहसील सारागांव जिला जाँजगीर चाम्पा के ज्ञापन क्र.1280/वा /तह./2024 दिनांक 05/01/2024

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2023-2024

ग्राम : अफरीद 41 (5412041) हल्का : 00013 रा नि : सारागांव तहसील : सारागाँव जिला : जांजगीर-चांपा 20240110541200018

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	पड़ती का क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1707/6	20.5070 (राज्य सरकार)	खसरा नंबर - 405/22 के अनुसार	खसरा नंबर - 405/22 के अनुसार	खसरा नंबर - 405/22 के अनुसार	खसरा नंबर - 405/22 के अनुसार		शासकीय भूमि		खसरा आईडी : 126040510 न्यायालय कलेक्टर जिला जाँजगीर चाम्पा (छ .ग) के रा.प्र.क्र. 202312065000034/ब 121/अ -19/2023-24 आदेश दिनांक 03/01/2024 एवं न्यायालय तहसील सारागांव जिला जाँजगीर चाम्पा के ज्ञापन क्र.1280/वा /तह./2024 दिनांक 05/01/2024

Digitally signed by Anuranjan Ekka
Date: 2024.01.10 15:44:08 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR